

## प्रेस नोट

थाना हजारा पुलिस द्वारा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे बांछित व 10000 रु का ईनामी अभियुक्त लुकमान को किया गया गिरफ्तार।

थाना हजारा पीलीभीत में पंजीकृत मु0अ0सं0 105/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लुकमान पुत्र शान मौहम्मद निवासी ग्राम नेहरोसा थाना हजारा पीलीभीत 2. सरताज पुत्र गन्ठा 3. बब्लू पुत्र शमशेर निवासीगण मटकुन्ना शेरपुर कलाँ थाना पूरनपुर पीलीभीत लुकमान मुकदमा उपरोक्त में बांछित चल रहा था। जिस पर श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय के द्वारा 10000 रु का ईनाम घोषित था, जिसको आज दिनांक 03.09.2020 को समय करीब 06.10 बजे प्रभारी निरीक्षक व व0उ0नि0 सुशील कुमार,का0907 गोतम चौधरी,का0649 प्रवीण कुमार,म0का01519 शालू के साथ उसके घर ग्राम नेहरोसा थाना हजारा पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है।

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 185/16 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
2. मु0अ0सं0 186/16 धारा 3/25 आयुध अधि0
3. मु0अ0सं0 187/16 धारा 307 भा0द0वि0
4. मु0अ0सं0 288/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
5. मु0अ0सं0 345/13 धारा 379 भा0द0वि0
6. मु0अ0सं0 349/13 धारा 379/411 भा0द0वि0
7. मु0अ0सं0 34/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
8. मु0अ0सं0 118/19 धारा 3/5क/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
9. मु0अ0सं0 -105/20 धारा 2/3 गैंग स्टर एक्ट